अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ
सलामु बनाम गफुर आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 97 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
19.05.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या–01, रोही मौजा चक 2 बी.के.के. तहसील नोहर के खाता सं0 114/114 की कुल तादादी 4.3010 हैक्टेयर वादभूमि में से 2313/8602 हिस्से को आगामी तारीख पेशी तक रहन, बैय व मुन्तकिल न करें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 10/07/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
14/6/23	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी प्रार्थना पत्र में पंच पंचायती में हमारा राजीनामा हो चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र में राजीनामा होने के कारण प्रस्तुत पत्र/पत्रावली चलाने नहीं चाहते हैं। अतः आज की [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थी द्वारा [illegible] पत्रावली तलबी में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राजीनामा होने के कारण [illegible] किया जाता है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नकल व हक होकर दाखिल दफ्तर होवे	सलामु प्रार्थी 14/6/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner